

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

अधिसूचना  
सं0 30/2015-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2011 सीमा शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का. नि. 153(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"20क	26011141, 26011142	सभी माल	10%";
------	--------------------	---------	-------

(फा.सं. बी-334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 27/2011-सीमा शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153 (अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 8/2015-सीमा शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2015 द्वारा, सा.का.नि. 130(अ), तारीख 01 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में अंतिम बार संशोधित की गई थी ।